



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 अलग-अलग मामलों में 06 अभियुक्तों को कुल 11 हजार रुपये जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 अलग-अलग मामलों में 06 अभियुक्तों को कुल 11 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है -

अभियोग-

1. थाना पैलानी में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 192/12 धारा 323/504/427 भादावि के 03 अभियुक्तों- 1- अर्जुन, 2-अरुण पुत्रगण बिंदा व 3-बिंदा पुत्र गयाचरन निवासीगण इच्छावर थाना पैलानी जनपद बांदा को कुल 4500/ रुपये के जुर्माने दण्डित कराया गया ।
2. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 413/23 धारा 323/504/506 भादावि के 02 अभियुक्तों- 1- सनी उर्फ गुरमीत व 2-सिमरन पुत्रगण रंजीत निवासगण पंजाबी कालोनी पीली कोठी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को कुल 6000/ रुपये के जुर्माने दण्डित कराया गया ।
3. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 363/18 धारा 504/506 भादावि के अभियुक्त मोनू पुत्र राजू निवासी बलखंडीनाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को कुल 500/ रुपये के जुर्माने दण्डित कराया गया ।